

## प्रेस नोट दिनांक 09.05.2026

### थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के 30नि0 देवनारायण राम मय हमराह का0 गजेन्द्र सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान एसटी 236/2011 अ0सं0 513/2010 धारा 364/323/504/506/427/395/307 भादवि व 7 सीएल आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त राजेश शुक्ला उर्भ बुदुनशुक्ला पुत्र अमर नाथ शुक्ला निवासी ग्राम कल्याण पुर मजरे महाराजपुर थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राजेश शुक्ला उर्भ बुदुनशुक्ला पुत्र अमर नाथ शुक्ला निवासी ग्राम कल्याण पुर मजरे महाराजपुर थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

30नि0 देवनारायण राम मय हमराह का0 गजेन्द्र सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा शस्त्र के साथ फायरिंग प्रकरण में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा शस्त्र के साथ फायरिंग के संबंध में 01 अभियुक्त राम भवन यादव को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बिदासिन चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी संचालक कान्हा गेस्ट हाउस मनगढ़, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 07/08.05.2026 को आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बारात में आए गनर रामभवन यादव निवासी जनपद कौशांबी द्वारा अपने शस्त्र से फायरिंग की गई। गेस्ट हाउस प्रबंधन द्वारा मना किए जाने के बावजूद फायरिंग बंद नहीं की गई, जिससे कार्यक्रम में मौजूद लोगों में भय एवं अफरा-तफरी

की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संबंध में थाना कुण्डा में 142/2026 धारा 125 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय मय हमराह का0 विनोद कुमार का0 प्रवीण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पंजीकृत मु0अ0सं0142/2026 धारा 125 बीएनएस व 27/30 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त राम भवन यादव पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल उम्र 35 वर्ष निवासी सिंहपुर थाना पिपरी जनपद कौशांबी को 01 अदद SBBL 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर के साथ थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बिदासिन चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राम भवन यादव पुत्र स्व0 छोटेलाल उम्र 35 वर्ष निवासी सिंहपुर थाना पिपरी जनपद कौशांबी।

बरामदगी-

01 अदद SBBL 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय मय हमराह का0 विनोद कुमार का0 प्रवीण कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

### थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना लीलापुर पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 104 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री का कुल 350 रू0 के साथ 01 अभियुक्त अजय सिंह को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत शमशेरगंज रोड ब्राम्ही बालिका इंटर कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज

श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में उ०नि० शहंशाह खान मय हमराह उ०नि० एजाज खान, कां० कुन्दन शर्मा, कां० महेश यादव, रि०कां० आशीष यादव चालक हे०कां० अजय यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत शमशेरगंज रोड ब्राम्ही बालिका इंटर कालेज के पास से 01 अभियुक्त अजय सिंह पुत्र बाम्बे प्रसाद सिंह नि० ग्राम तुलापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को कुल 01 किलो 104 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री का कुल 350 रू० बरामद के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना लीलापुर में मु०अ०सं० 117/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजय सिंह पुत्र बाम्बे प्रसाद सिंह नि० ग्राम तुलापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अजय सिंह पुत्र बाम्बे प्रसाद सिंह नि० ग्राम तुलापुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 160/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

कुल 01 किलो 104 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री का कुल 350 रू० बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० शहंशाह खान मय हमराह उ०नि० एजाज खान, कां० कुन्दन शर्मा, कां० महेश यादव, रि०कां० आशीष यादव चालक हे०कां० अजय यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना लालगंज पुलिस द्वारा कुल 01 किलो 214 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त सौरभ पाण्डेय को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत आमावां तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानचन्द्र तिवारी मय हमराह उ0नि0 ध्रुव सिंह, का0 राहुल यादव, का0 नीरज वर्मा, का0 आलोक कुमार यादव, रि0 का0 शिवम सिंह, चालक हो0 गा0 आनन्द कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत आमावां तिराहे के पास से 01 अभियुक्त सौरभ पाण्डेय पुत्र महेन्द्र पाण्डेय निवासी आमावा खास थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को कुल 01 किलो 214 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 152/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सौरभ पाण्डेय पुत्र महेन्द्र पाण्डेय निवासी आमावा खास थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी-

कुल 01 किलो 214 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ज्ञानचन्द्र तिवारी मय हमराह उ0नि0 ध्रुव सिंह, का0 राहुल यादव, का0 नीरज वर्मा, का0 आलोक कुमार यादव, रि0 का0 शिवम सिंह, चालक हो0 गा0 आनन्द कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।**

थाना लालगंज पुलिस की बड़ी सफलता: चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, नकद बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही: चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 1100 रुपये (चोरी में बेचे गये सोने चाँदी से प्राप्त, हिस्से का पैसा) बरामद-

प्रतापगढ़।

दिनांक 12.04.2026 को वादिनी निवासी ग्राम छेमी (पो० पूरेनोती) थाना लालगंज इलाज हेतु प्रयागराज गई थीं। दिनांक 15.04.2026 को सूचना मिलने पर घर लौटने पर पाया कि अज्ञात चोरों द्वारा मुख्य द्वार एवं आलमारी का ताला तोड़कर घर से आभूषण, कुछ बर्तन व एक टीवी चोरी कर लिया गया। इस संबंध में थाना लालगंज पर मु०अ०सं० 122/26 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ०नि० बनवारी लाल पाल मय हमराह का० सन्तोष यादव, का० राहुल सोलंकी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 122/2026 धारा 305, 61(2)ए, 331(4), 317(2) बी.एन.एस. से संबंधित 01 अभियुक्त शिवम तिवारी पुत्र रवि तिवारी निवासी ग्राम दूदा का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को चोरी के 1100 रुपये (चोरी में बेचे गये सोने चाँदी से प्राप्त, हिस्से का पैसा) के साथ थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत अहमदनगर सलेमभदारी बगिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 1100 रुपये (चोरी में बेचे गये सोने चाँदी से प्राप्त, हिस्से का पैसा) बरामद की गई हैं। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 61(2)ए, 331(4), 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शिवम तिवारी पुत्र रवि तिवारी निवासी ग्राम दूदा का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

1100 रुपये (चोरी में बेचे गये सोने चाँदी से प्राप्त, हिस्से का पैसा) बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० बनवारी लाल पाल मय हमराह का० सन्तोष यादव, का० राहुल सोलंकी, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्ताओं को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कसेरुआ से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2026 को वादिनी निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगणों ने लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी लेकर उनके घर पर हमला कर दिया। आरोपियों द्वारा गाली-गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ एवं फायरिंग की गई, जिसमें वादिनी के पति घायल होकर बेहोश हो गये। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0स0 101/26 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/109(1)/352/351(3)/324(4)/333 बीएनएस बनाम 19 नामजद व 10 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह का0 विजय कुमार, का0 पंकज यादव, म0 आ0 गुन्जन , म0 आ0 रागिनी व म0 आ0 प्रियंका द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 101/26 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/109(1)/352/351(3)/324(4)/333 बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्ताओं 1.रुक्साना पत्नी आजाद निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष 2.सुफिया बेगम पुत्री अब्दुल रसीद निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष 3.रहीसुल पत्नी शमशाद निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष 4.सहरतुल पत्नी सुस्तफा निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कसेरुआ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

01. रुक्साना पत्नी आजाद निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।
02. सुफिया बेगम पुत्री अब्दुल रसीद निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।
03. रहीसुल पत्नी शमशाद निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।
04. सहरतुल पत्नी सुस्तफा निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह का0 विजय कुमार, का0 पंकज यादव, म0 आ0 गुन्जन , म0 आ0 रागिनी व म0 आ0 प्रियंका थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

## थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ यादव मय हमराह कां0 राजू गौड़ द्वारा सेशन केस नं0 864/23, धारा 354क,504/34,506/34 IPC 7/8 पाक्सो थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त सन्तोष पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सन्तोष पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ यादव मय हमराह कां0 राजू गौड़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।